कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट
सोनभद्र– (उ0प्र0)

☎05446–252020 PIN Code: 231217 Email:dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक–2319 /रेनुकूट/ 15– 38 दिनांक, रेनुकूट,जनवरी, 12 , 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– Proposal of Renewal for diversion of 185.84 ha of Forest Land in favour of M/s Northern Coalfields Limited for Coal Mining in Kakri Open Cast Coal Mining in Sonbhadra District in the State of Uttar Pradesh (Online No. FP/UP/MIN/29061/2017) reg.

संदर्भः– 1–भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज नई दिल्ली का पत्र संख्या– 8–350/1987–एफ0सी0(Vol) दिनांक– 01.09.2020
2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या– 477/11–सी– FP/UP/MIN/29061/2017 लखनऊ दिनांक– 02.09.2020
3–आपका पत्र संख्या– 1182/मी0/33 दिनांक– 22.09.2020

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें । भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक–01.09.2020 द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के संबंध में वांछित सूचना/अभिलेख प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्र संख्या– ककरी/महाप्रबन्धक/वन/2020/1123 दिनांक– 30.12.2020 द्वारा प्रभाग में उपलब्ध कराया गया है जिसके आधार पर प्रभाग की अनुपालन आख्या टेबुलर फार्म में निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0 सं0	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज नई दिल्ली का पत्र संख्या– 8–350/1987–एफ0सी0(Vol) दिनांक– 01.09.2020 में अंकित विवरण	अनुपालन आख्या
1	2	3
i	The clear recommendation of CCF has not been provided in Part-III; as well as on the basis of improper recommendation of CCF the proposal has been recommended by Nodal Officer. Therefore, recommendation of the C.C.F. & Nodal Officer needs a review. They are required to submit clear recommendations and the recommendations shall be on agreeing renewal proposal or not in specific	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के नवीनीकरण हेतु प्रभाग द्वारा संस्तुति सहित रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रेषित की गयी है ।

	"Yes" or "No". Reasons for agreement/disagreement shall also be cited with the proposal;	
ii	DFO, Renukoot vide their letter no. 2869/रेनुकूट/15-38 dated 13.02.2019 had reported violation of section 2 of FCA, 1980 in this matter. The details about specific issues pertaining to contravention of section 2 of FCA,date of violation, extent of violation, officials responsible for violation, any other information relevant to this proposal shall be submitted;	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि रेनुकूट वन प्रभाग के पत्र संख्या–2869/रेनुकूट/15–38 दिनांक– 13.02.2019 में उल्लिखित उल्लंधन का प्रकरण लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 लीज भूमि से **अलग भूमि का है** जिसके संबंध में वस्तु स्थिति प्रभाग के अन्तिम पत्र संख्या–3905/रेनुकूट/15–38 दिनांक– 18.05.2020 द्वारा स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रेषित की गयी है।
iii	The State Government has not submitted the complete compliance of the Ministry's earlier approval vide order no. 8-350/1987-FC dt. 30.05.1989;	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या सत्यापित करते हुए इस पत्र के साथ **संलग्न कर प्रेषित है** ।
iv	Site Inspection Report of the concerned CCF has not been submitted with the proposal which is mandatory as proposed renewal of lease is having extent >40 ha;	इस बिन्दु के अनुपालन में कार्यवाही प्रभाग स्तर से अपेक्षित नही है ।
V	The NOC from other land owning agencies other than State Forest Department (if any) has not been submitted with the proposal;	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना में 185.84 हे0 वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि सम्मिलित नही है इस कारण अन्य एजेंसी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित नही है ।
Vi	The State Government has not clarified wheather the Environmental Clearance issued vide order dt. 11.05.2005 is valid for the instant proposal or not;	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा MOEF&CC पर ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–IA/UP/CMIN/114168/2019 प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है । पुष्टि हेतु **अभिलेख संलग्न है** ।
Vii	The State Government has not submitted the valid lease documents for the instant proposal;	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में पट्टाविलेख उपलब्ध कराया गया था जो कतिपय कारणो से अनुमोदित नही हो पाया । उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या– 454/81–2–2020 ,पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक– 28 मई 2020 (**छाया प्रति संलग्न**) द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण के समस्त प्रकरणो मे Transfer of property Act 1882 के तहत संशोधित पट्टाविलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया । उक्त निर्देश के क्रम में प्रभाग द्वारा विभिन्न पत्रो के माध्यम से एन0सी0एल0 की ककरी परियोजना से संशोधित पट्टाविलेख उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया उक्त अनुरोध के क्रम में महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्ड्स लि0 ककरी परियोजना ने अपने पत्र संख्या–

		ककरी/महाप्रबन्धक/वन/2020/464 दिनांक– 12.08.2020 (**छाया प्रति संलग्न**) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद के रिट याचिका संख्या– 33050/2010 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक– 14.07.2010 के आधार पर पट्टाविलेख के निष्पादन संबंधी कार्यवाही को स्थगित करने हेतु अनुरोध किया गया । माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद द्वारा रिट याचिका संख्या– 33050/2010 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक– 14.07.2010 के संबंध में वस्तु स्थिति निम्नानुसार है :– " जनपद–मीरजापुर, वर्तमान में सोनभद्र जिले में दुद्धीचुऑ एवं खड़िया कोयला परियोजनाओ हेतु 1305 हे0 वन भूमि भारत सरकार के पत्र संख्या– 8–298/87–एफ0सी0 दिनांक–30.07.1990 एवं इसके क्रम में विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या– एल 1319/14–3–929/87 वन अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक– 04.01.1991 द्वारा 40 वर्षो हेतु लीज पर दी गयी है । उक्त आदेश के अनुपालन में पट्टाविलेख की प्रति उच्च स्तर पर प्रेषित की गयी । पट्टाविलेख के निष्पादन के संबंध में उच्च स्तर से कुछ अभिलेखो की मॉग की गयी जिसे उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के विभिन्न पत्रो द्वारा नार्दन कोल फील्डस लि0 की दुद्धीचुऑ एवं खड़िया परियोजना से अनुरोध किया गया किन्तु एन0सी0एल0 के स्तर से अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने पर कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग के पत्र संख्या– 4021/रेनुकूट/15–39 दिनांक– 08.04.2010 द्वारा डम्पिंग कार्य पर रोक लगा दी गयी । प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट के उक्त पत्र दिनांक–08. 04.2010 से क्षुब्ध होकर एन0सी0एल0 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद के समक्ष रिट याचिका संख्या– 33050/2010 दाखिल किया गया । उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद द्वारा दिनांक– 14.07. 2010 को स्थगन आदेश जारी किया गया है "। उक्त आदेश केवल एन0सी0एल0 की दुद्धीचुऑ एवं खड़िया परियोजना हेतु ही लागू है इसका उल्लेख करते हुए प्रभाग द्वारा एन0सी0एल0 की ककरी परियोजना से संशोधित पट्टाविलेख उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया किन्तु एन0सी0एल0 की ककरी परियोजना द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद द्वारा पारित उक्त अन्तरिम आदेश दिनांक– 14.07.2010 ककरी परियोजना पर भी लागू होने का उल्लेख करते हुए संशोधित पट्टाविलेख उपलब्ध नही कराया जा रहा है जो उ0प्र0 शासन द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में जारी मूल आदेश दिनांक–28.12.1989 व वर्तमान में जारी संदर्भित आदेश दिनांक– 28 मई 2020 का उल्लंधन है
Viii	The state Government has not submitted details i.e. kml file with respect to the CA land where plantation has been carried out as per	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित 185.84 हे0 वन भूमि के बदले 189.84 हे0 गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव

	approval order no. 8-350/1987-FC dt. 30.05.1989;	प्रभाग हरदोई उत्तर प्रदेश में उपलब्ध करायी गयी है । उपलब्ध करायी गयी 189.84 हे0 गैर वन भूमि को उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या– 3185/14–2–91/97/1991 दिनांक– 06.12.1991 द्वारा संरक्षित वन धोषित की जा चुकी है जिसकी पुष्टि हेतु प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग हरदोई का पत्र संख्या– 3975 दिनांक– 08.04.1994 की प्रति वन भूमि हस्तान्तरण से संबंधित नवीनीकरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– 22 पर संलग्न है । उक्त गैर वन भूमि से संबंधित जी0ओ0रेफरेन्स मानचित्र, टोपोशीट एवं के0एम0एल0फाइल की सी0डी0 **संलग्न है** ।
Ix	As per the DSS analysis report, the following shortfalls has been observed:	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित 185.84 हे0 वन भूमि से संबंधित संशोधित जी0ओ0रेफरेन्स मानचित्र, टोपोशीट एवं के0एम0एल0 फाईल की सी0डी0 **संलग्न है** ।
a.	The calculated area of proposed diversion as per kml file submitted is found to be 183.91 ha whereas applied area for diversion in the renewal proposal is 185.84 ha;	
b.	As per SoI Map, some portion of Forest land applied for renewal is falling in the state of Madhya Pradesh;	
c.	A shift of Forest KML boundary applied for renewal has been observed w.r.t. location forest patch i.e. 185.84 Ha as shown in SoI Map;	
d.	SoI Map shows some Forest patches are not covered in the Forest land i.e. 185.84 ha applied for renewal.	

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या– 2318 अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि : महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0, ककरी परियोजना, ककरी–सोनभद्र को उनके पत्र संख्या–1123 दिनांक–30.12.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट